

30.10.25

पत्रावली पैरा हुई अधि० उभयपक्ष उपस्थित।
चूंकि विवादित आराजी के स्वामित्व के
संबंध में प्रकार का सिविल न्यायालय में
स्थिराधीन होने के पत्थरगढ़ी का आदेश
दिया जाना उचित नहीं है अतः प्रा. का
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शमार होकर दायित्व फुलर
है।

उपखण्ड अधिकारी
जिला मीरवाड़ा